भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 486

जिसका उत्तर दिनांक 01.12.2021 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

486. श्री धर्मवीर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए घरेलू निवेश पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हरियाणा में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) वर्तमान में 6780 MW की कुल क्षमता वाले बाईस (22) रिएक्टर प्रचालनरत हैं और एक रिएक्टर, केएपीपी-3 (700 MW) दिनांक 10 जनवरी 2021 को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है । इसके अतिरिक्त, 8000 MW की कुल क्षमता वाले दस (10) रिएक्टर (भाविनी द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे पीएफबीआर सहित) वर्तमान में निर्माण/कमीशनन के विभिन्न चरणों में हैं । सरकार ने जून 2017 में 7000 MW की कुल क्षमता वाले दस (10) और रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी भी प्रदान कर दी है । नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश का वित्तपोषण ऋण से इक्विटी 70:30 के अनुपात में किया जा रहा है । इक्विटी हिस्से की निधि एनपीसीआईएल के आंतरिक स्रोतों एवं सरकारी बजट की सहायता से प्रदान की जाती है ।

(ग) तथा (घ) वर्तमान नीति (सरकार की समेकित एफडीआई नीति) परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है । तथापि, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और संबद्ध अन्य सुविधाओं के लिए उपकरणों के विनिर्माण करने और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए नाभिकीय उद्योग में एफडीआई पर कोई प्रतिबंध नहीं है । भारत सरकार ने वर्ष 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन किया है जिससे नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यमों को लाइसेंस दिया जा सके । घरेलू निवेश बढ़ाने के लिए, एनपीसीआईएल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों - नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम गठित किए गए हैं ।

(ङ) जी, हां ।

(च) प्रत्येक 700 MW के चार स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर में स्थापित किया जाना है । दो-दो यूनिटों – जीएचएवीपी 1 तथा 2 (2X700 MW) और जीएचएवीपी 3 तथा 4 (2X700 MW) की दो चरणों में बनाने की योजना है । प्रथम चरण (जीएचएवीपी 1 तथा 2) की निर्माण गतिविधियां आरम्भ हो चुकी है जबकि द्वितीय चरण (जीएचएवीपी 3 तथा 4) की परियोजना-पूर्व गतिविधियां चल रही हैं ।

* * * * *